बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

आवश्यक सूचना

दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2026 में उत्तीर्ण बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को एकमुश्त रू० 1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने के उद्देश्य से दिनांक–08.07.2026 को प्रकाशित विज्ञापन में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.07.2026 की रात्रि 11:00 बजे तक निर्धारित की गयी थी। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए **ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक–31.07.2026 से बढ़ाकर दिनांक–15.08.2026 की रात्रि 11:00 बजे तक विस्तारित की जाती है।**

पात्र अभ्यर्थी विस्तारित तिथि तक निर्धारित पोर्टल https://bcebconline.bihar.gov.in/cspy/EBCscholarship/index.aspx पर लॉगिन कर अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html पर देखी जा सकती है।

विशेष जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0612–2200125 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

संoसंo–01 / दिoसoनिo(योo)–21 / 2025

बिहार सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

–:: मार्गदर्शिका ::–

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना 'सम्बल' अंतर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संबंधी मार्गदर्शिका ।

बिहार सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। बिहार राज्य के दिव्यांगजनों को सशक्त करने हेतु राज्य के अन्य विभागों द्वारा संचालित सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अनुरूप ही संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पुरूष दिव्यांग अभ्यर्थियों को उक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु **'दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना'** अंतर्गत निम्नरूपेण निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया जा रहा है :–

प्रतियोगी परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	प्रोत्साहन राशि (राशि रू0 में)
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा।	संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली	1,00,000 / –
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (प्रारंभिक)।	बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	50,000 / –

2. पात्रता :–

(i) अभ्यर्थी को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी के पास पिछड़ा वर्ग (BC) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / सामान्य वर्ग का जाति / कोटि प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(iii) अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रतिशत 40 अथवा उससे अधिक होना चाहिए।

(iv) अभ्यर्थी को उपरोक्त सारणी में अंकित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(v) अभ्यर्थी को पूर्व से किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार से अधीन वित्त संपोषित किसी भी सरकारी/लोक उपक्रम (बोर्ड या निगम) की सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए।

(vi) किसी अभ्यर्थी को इस योजना अंतर्गत दोनों प्रकार की सिविल सेवा परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग, पटना एवं संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा) के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर केवल एक बार ही प्रोत्साहन राशि देय होगा।

3. आवेदन की प्रक्रियाः–

(i) अभ्यर्थी के द्वारा संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के 45 दिनों के अंदर विभागीय अधिसूचित पोर्टल पर ऑनलाईन निबंधन करते हुए आवेदन समर्पित किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जायेंगे। आवेदन हेतु 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा को विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है।

(ii) अभ्यर्थी संबंधित पोर्टल पर एक बार पंजीकरण करेंगे।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा एक बार में सिर्फ एक ही परीक्षा से संबंधित आवेदन समर्पित किया जायेगा। अनेक आवेदनों की स्थिति में अंतिम/अद्यतन आवेदन ही मान्य होगा।

(iv) ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

(v) यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं भुगतान की गयी राशि Public Demand Recovery Act, 1914 के अधीन राशि वसूली की जायेगी।

(vi) **ऑनलाईन निबंधन/आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से निम्न अभिलेख/प्रमाण–पत्र अधिसूचित पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा :–**

(क) अभ्यर्थी का नवीनतम फोटो

(ख) अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में)

(ग) सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र की प्रति

(घ) सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत जाति/कोटि प्रमाण–पत्र की प्रति

(ड़) सक्षम प्राधिकार से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड

(च) संबंधित परीक्षा के प्रवेश–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति

(छ) संबंधित परीक्षा हेतु किये गये आवेदन की स्वअभिप्रमाणित की प्रति

(ज) प्रारंभिक परीक्षा की उत्तीर्णता से संबंधित दस्तावेज (ऑनलाईन प्रकाशित परिणाम अथवा अन्य दस्तावेज जिसमें अभ्यर्थी का अनुक्रमांक एवं नाम अंकित हो) की स्व–अभिप्रमाणित प्रति

(झ) अभ्यर्थी के आधार कार्ड की प्रति

(ट) अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नम्बर एवं सक्रिय ई–मेल आई0डी0 (अभ्यर्थियों को आवश्यक सूचना उनकी ई–मेल आई0डी0 पर दी जायेगी। अभ्यर्थी अपने ई–मेल आई0डी0 को प्रक्रियापूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे)।

(ठ) अभ्यर्थी के नाम से सक्रिय बैंक पासबुक (प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु बैंक खाता अनिवार्य रूप से आधार नम्बर के साथ सीडेड होना चाहिए, जिसमें खाता संख्या एवं बैंक आई0एफ0एस0सी0 स्पष्ट रूप से अंकित हो), अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित रद्द चेक (जिसमें आवेदक का नाम अंकित हो), की Scaned प्रति।

(ड) अभ्यर्थी को आवेदन के साथ इस आशय का 1st Class Judicial Magistrate अथवा Executive Magistrate के स्तर से निर्गत शपथ–पत्र की Scanned प्रति पोर्टल पर समर्पित करना होगा कि वे किसी भी सरकारी / लोक उपक्रम / बोर्ड–निगम / केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा वित्त सम्पोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत / नियोजित नहीं है तथा उनके द्वारा इस विभाग या अन्य किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है।

4. कार्यान्वयनः–

(i) योजना का क्रियान्वयन दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार से NIC द्वारा निर्मित ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा, जो योजना के प्रभारी पदाधिकारी होंगे।

(iii) निदेशालय द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी से इतर एक प्राधिकृत पदाधिकारी (सहायक निदेशक से अन्यून) को नामित किया जायेगा, जो योजना अंतर्गत ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जाँच, सत्यापन, प्रमाण–पत्रों की जाँच आदि एवं संबंधित बोर्ड / आयोग / परीक्षाफल प्रकाशित करने वाली संस्था से परीक्षाफल प्रकाशन (हार्ड कॉपी / सॉफ्ट कॉपी वेबसाईट के माध्यम से) का मिलान कर आवेदन को ऑनलाईन पोर्टल पर अग्रसारित करेंगे।

(iv) यदि प्राधिकृत पदाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परीक्षाफल, प्रवेश–पत्र आदि दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करना आवश्यक है, तो इस परिस्थिति में भौतिक सत्यापन हेतु निदेशालय स्तर से जाँच दल का गठन किया जायेगा, जो संबंधित बोर्ड / आयोग अथवा परीक्षाफल प्रकाशित करने वाले संस्था से परीक्षाफल, प्रवेश–पत्र आदि का सत्यापन कर एवं पोर्टल पर जाँच प्रतिवेदन अपलोड करते हुए अनुमोदन हेतु अनुशंसा 15 कार्य दिवसों के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

5. अनुमोदनः—

(i) निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय सत्यापित एवं अनुशंसित आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकृत करेंगे अथवा त्रुटि निराकरण हेतु संबंधित नोडल पदाधिकारी को वापस करेंगे।

(ii) स्वीकृत आवेदनों की सूची पोर्टल के माध्यम से भुगतान हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को भेजा जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निधि की उपलब्धता के आलोक में अविलम्ब भुगतान की कार्रवाई करेंगे। योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्य आवश्यक दिशा—निर्देश निदेशक की स्वीकृति से जारी किया जायेगा।

(iii) किसी भी आवेदन को निरस्त करने अथवा स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को होगा।

6. भुगतानः—

(i) आवेदनों की स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा निधि की उपलब्धता के आलोक में भुगतान की कार्रवाई करेंगे। उक्त भुगतान 'सम्बल' योजना के संबंधित शीर्ष के सामान्य घटक से किया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी को भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके आधार सीडेड बैंक खाता में किया जायेगा।

7. समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना के सुचारू रूप से संचालन/क्रियान्वयन हेतु समय—समय पर आवश्यकतानुसार मार्गदर्शिका में परिवर्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के कम में नये निदेश/अनुदेश जुड़े जा सकते है अथवा पूर्व से किये गये अनावश्यक प्रतीत होने वाले प्रावधानों को हटाया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/8/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः—01/दि0स0नि0(यो0)—21/2025 स.क. 897 पटना. दिनांक— 06.08.2025

प्रतिलिपिः—संयुक्त सचिव, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

6/8/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–01 / दि0स0नि0(यो0)–21 / 2025 स.क. 897 पटना. दिनांक– 06.08.2025

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव / सचिव, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव / निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय / प्रबंधक निदेशक, महिला विकास निगम / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय / निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम, बिहार, पटना / State Informatices Officer, NIC, Patna / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / सरकार पक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

6/8/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–01 / दि0स0नि0(यो0)–21 / 2025 स.क. 897 पटना. दिनांक– 06.08.2025

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के आप्त सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / राज्य आयुक्त निःशक्तता / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6/8/25

संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।